



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2()परावि/प्रशा.1/वि.अ./रिक्त/पदस्थापन/पत्र/2011/

987

जयपुर, दिनांक:- 5-4-18

—: आदेश :-

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित पंचायत समिति में किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी सर्वश्री	कहां से (पंचायत समिति)	कहां को (पंचायत समिति)	विशेष विवरण
1	श्री हरकेश मीना	आदेशों की प्रतीक्षा में	लालसोट (दौसा)	श्रीमती प्रियंका मीना के स्थान पर।
2	श्रीमती प्रियंका मीना, RRDS,	लालसोट (दौसा)	आदेशों की प्रतीक्षा में	-

उक्त विकास अधिकारी अपने पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों की वरियता के क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे।

आदेशों की प्रतीक्षा में किये गये अधिकारी अपने पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों की वरियता के क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति मुख्यालय पंचायती राज विभाग जयपुर में प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किया गया है उन्हें नियमानुसार यात्राभत्ता एवं योगकाल देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदेत है।

(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर, दौसा।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति लालसोट।
11. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
12. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
13. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)